विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L0031913

श्री मोहन लालवानी,
बी–15, न्यू आकाश ज्वेलर्स के पीछे, – **आवेदक**
म.नं. –1, बैरागढ़, भोपाल (म.प्र.) – 462030

विरूद्ध

प्रबंध संचालक,
मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, – **अनावेदकगण**
गोविन्दपुरा, भोपाल (म.प्र.) – 462023

आदेश

(दिनांक 26.09.2013 को पारित)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र जिसमें फोरम के प्रकरण क्रमांक को अंकित नहीं किया गया है श्री मोहन लालवानी विरूद्ध उप महाप्रबंधक के अंतर्गत पारित आदेश दिनांक 16.05.2013 के विरूद्ध यह अभ्यावेदन आवेदक/उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत किया गया है ।

2. विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल के शिकायत क्रमांक C0115512 श्री मोहन लालवानी विरूद्ध कार्यपालन यंत्री में पारित आदेश दिनांक 29.08.2012 के विरूद्ध उपभोक्ता के द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाने पर विद्युत लोकपाल के यहां पंजीबद्ध प्रकरण क्रमांक L0026612 श्री मोहन लालवानी विरूद्ध कार्यपालन यंत्री में पारित आदेश दिनांक 28.02.2013 के अनुसार उपभोक्ता की शिकायत को पुनः फोरम को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया था कि फोरम उपभोक्ता को निर्देशित करें कि वह शिकायत के संबंध में अनुज्ञप्तिधारी (वितरण लाईसेंसी) को पक्षकार के रूप में संयोजित करें । उपभोक्ता द्वारा ऐसा किए जाने पर मामले की पुनः सुनवाई की जाए तथा विधिक प्रावधानों के परिपेक्ष्य में उपभोक्ता की शिकायत का निराकरण किया जावे ।

3. फोरम के प्रश्नगत् आदेश दिनांक 16.05.13 का अवलोकन करने पर विद्युत लोकपाल के आदेश के अनुसरण में कार्यवाही किया जाना परिलक्षित नहीं होता है । फोरम के उक्त आदेश का अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि आवेदक उपभोक्ता द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42 (5) के अन्तर्गत विद्युत कनेक्शन के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर आदेश दिया गया है । प्रश्नगत् आदेश दिनांक 16.05.13 में अनुज्ञप्तिधारी (वितरण लाईसेंसी) को उपभोक्ता द्वारा पक्षकार के रूप में संयोजित किया जाना भी नहीं पाया जाता है ।

4. फोरम के आदेश का अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि उपभोक्ता की शिकायत से संबंधित आदेश पत्र में दिनांक 7.8.12 के बाद आदेश पत्र लेख नहीं किया गया है अर्थात् विद्युत लोकपाल में दिनांक 28.02.1013 को दिए गए निर्देश के अनुसार उपभोक्ता की शिकायत को पुनः दिनांक 25.03.13 को सुनवाई में नहीं लिया गया है । उपभोक्ता ने उक्त दिनांक को फोरम के समक्ष उपस्थित होकर फोरम के निर्देशानुसार कोई कार्यवाही नहीं की है । इसके विपरीत उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत अभ्यावेदन का अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि उसने पुनः फोरम में अनुज्ञप्तिधारी को पक्षकार के रूप में संयोजित कर आवेदन पेश किया था, जबकि ऐसा किए जाने के निर्देश उपभोक्ता को नहीं दिया गया था । इसके विपरीत उपभोक्ता को यह निर्देश दिया गया था कि वह दिनांक 25.03.13 को फोरम के समक्ष उपस्थित हो तथा फोरम के निर्देशानुसार अनुज्ञप्तिधारी को मूल शिकायत में पक्षकार के रूप में संयोजित करें ।

5. ऐसा प्रतीत होता है कि उपभोक्ता ने विद्युत लोकपाल के आदेश दिनांक 28.02.13 के अवलोकन किए बिना कार्यवाही की है और फोरम ने भी लोकपाल के आदेश का अवलोकन किए बिना कार्यवाही कर प्रश्नगत् आदेश पारित किया है ।

6. उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में अपनी मूल शिकायत के संबंध में उपभोक्ता द्वारा विद्युत लोकपाल के आदेश का पालन किया जाना नहीं पाया जाता है । उसके द्वारा विद्युत लोकपाल के आदेश का पालन न करने के कारण तथा उपभोक्ता फोरम द्वारा भी विद्युत लोकपाल के निर्देशानुसार कार्यवाही नहीं की गई है, ऐसी स्थिति में उपभोक्ता फोरम के प्रश्नगत् आदेश दिनांक 16.05.2013 के विरूद्ध उपभोक्ता ने जो अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है उसके आधार पर विद्युत लोकपाल द्वारा उसकी शिकायत का निराकरण करने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है, अतः उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत प्रश्नगत् अभ्यावेदन निरस्त किया जाता है ।

7. आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल